

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

➤ कोटा में थाना नान्ता की बड़गांव चौकी पर तैनात कांस्टेबल 2,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकी कोटा द्वारा एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए थाना नान्ता, जिला कोटा शहर की बड़गांव चौकी पर तैनात कांस्टेबल अभयसिंह को परिवारी से 2,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि, एक डम्पर द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई थी। उक्त मोटरसाइकिल के परिवारी की कार से टकराने के बाद उत्पन्न विवाद के संबंध में डम्पर मालिक द्वारा परिवारी के विरुद्ध थाना नान्ता में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी जांच थाना नान्ता की बड़गांव चौकी पर तैनात कांस्टेबल अभयसिंह द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि कांस्टेबल अभयसिंह द्वारा परिवारी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाने की धमकी देकर रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

उक्त शिकायत पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी कांस्टेबल अभयसिंह द्वारा परिवारी से 700/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष 2,000/- रुपये रिश्वत राशि बाद में लेने की मांग करना पाया गया।

एसीबी कोटा रेंज के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक श्री पृथ्वीराज मीणा के नेतृत्व में गठित ट्रेप दल द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी कांस्टेबल अभयसिंह को बड़गांव चौकी पर परिवारी से 2,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी के निवास स्थान की तलाशी ली जा रही है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, आदि) दर्ज होने पर, ACB से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण के ACB द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ACB की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। यह जानकारी एसीबी के डर से धोखाधड़ी आदि के शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।